


धारा 4 (1) (ख) के अंतर्गत अनिवार्य प्रकटीकरण

1. संगठन और कार्य

क्र.सं.	मद	प्रकटीकरण का विवरण	विस्तृत सूचना
1.1	इसके गठन, कार्यों एवं दायित्वों का विवरण [धारा 4 (1) (ख) (i)]	(क) संगठन का नाम और पता	समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार, ब्लॉक -9, सीजीओ कॉम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-3
		(ख) संगठन का प्रमुख	निदेशक
		(ग) भावी योजना, विशेष-कार्य और मुख्य उद्देश्य	पुलिस दूरसंचार से संबंधित मामलों पर गृह मंत्रालय, भारत सरकार और देश के पुलिस संगठनों का परामर्शदात्री निकाय के रूप में कार्य करता है।
		(घ) दायित्व और कर्तव्य	<ul style="list-style-type: none"> डीसीपीडब्ल्यू राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों/ केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के विभिन्न पुलिस संचार सेवाओं का समन्वय करने के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। निदेशालय राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को स्पेक्ट्रम/फ्रीक्वेंसी के आबंटन के लिए समन्वय एजेंसी के रूप में कार्य करता है तथा आबंटित स्पेक्ट्रम/फ्रीक्वेंसी की समीक्षा करता है। डीसीपीडब्ल्यू द्वारा सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों की पुलिस और केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए रेडियो संचार के सुरक्षा मामलों का समन्वय किया जाता है। डीसीपीडब्ल्यू राज्य पुलिस संगठनों द्वारा उपयोग किए जाने वाले साइबर प्रलेख /उपकरणों के लिए केन्द्रीय वितरक प्राधिकरण है। निदेशालय राज्य पुलिस संगठनों को साइबर प्रलेख प्रदान करता है तथा गृह मंत्रालय एवं अन्य मंत्रालयों/विभागों के वर्गीकृत संदेशों को साइबर आवरण प्रदान करता है।

			<ul style="list-style-type: none"> • डीसीपीडब्ल्यू संचार और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के वायरलेस योजना व समन्वय विंग (डब्लूपीसी) को फ्रीक्वेन्सी आबंटित करने के लिए परामर्शदात्री निकाय का एक सदस्य है। • डीसीपीडब्ल्यू सभी राज्यों की राजधानियों/केन्द्र शासित प्रदेशों में अपने 31 स्टेशनों के माध्यम से कानून और व्यवस्था से संबंधित आकस्मिक संदेश प्रेषित करने के लिए चौबीस घंटे पुलिस वायरलेस नेटवर्क संचालित करता है। सभी राज्यों की राजधानियों और केन्द्र शासित प्रदेशों में स्थित इसके अंतर राज्य पुलिस वायरलेस स्टेशनों पर एचएफ संचार नेटवर्क स्थापित है। • डीसीपीडब्ल्यू प्रशिक्षण प्रदान करता है और राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों/सीएपीएफ के विभिन्न ओहदेदारों को उनकी परिचालन/तकनीकी / साइफर विधाओं में अपने दिल्ली स्थित केन्द्रीय पुलिस रेडियो प्रशिक्षण संस्थान (सीपीआरटीआई) के माध्यम से उनकी प्रवीणता, कौशल विकास, प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण आदि देने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम संचालित करता है। • राज्य पुलिस संगठनों/केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की आकस्मिक संचार आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, निदेशालय के पास रेडियो संचार सेट के रिजर्व स्टॉक (आरक्षित भंडार) हैं। • डीसीपीडब्ल्यू के पास एचएफ/वीएचएफ रेडियो सेट के मूल्यांकन और रखरखाव करने के लिए तकनीकी कार्यशाला है। • डीसीपीडब्ल्यू के पास वेरी स्माल अपर्चर टर्मिनल (वीसैट) का पूरे देश में फैला एक व्यापक नेटवर्क है जो अपने उपग्रह आधारित नेटवर्क अर्थात पुलिस नेटवर्क (पोलनेट) के माध्यम से सभी जिलों/राज्य मुख्यालयों और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को कनेक्टिविटी प्रदान करता है। यह उपग्रह आधारित नेटवर्क विभिन्न राज्य पुलिस/केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के बीच संचार को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है।
--	--	--	---

(इ) संगठन चार्ट



		(च) कोई और विवरण-समय-समय पर विभाग का निर्माण, उत्पत्ति एवं विभागाध्यक्षों से संबंधित मामलों का के साथ ही साथ समिति/आयोग के गठन संबंधी मामलों का कार्य।	<p>आरंभ में यह विभाग दिनांक 19 फरवरी 1946 को 'वेतार निरीक्षणालय' के नाम से अस्तित्व में आया और उसके पश्चात 1950 में इसे गृह मंत्रालय का अधीनस्थ कार्यालय समन्वय निदेशालय (पुलिस बेतार) नाम दिया गया।</p> <p>यह निदेशालय एक केन्द्रीय पुलिस रेडियो प्रशिक्षण संस्थान भी चलाता है जिसे प्रारंभ में डीसीपीडब्ल्यू के कार्मिकों के सेवा-कालीन प्रशिक्षण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए छोटे प्रशिक्षण स्कूल के रूप में शुरू किया गया था। तत्पश्चात् राज्यों/सीपीओज और अन्य सुरक्षा संगठनों की आवश्यकताओं को पूरा करने और उनकी तकनीकी एवं प्राचलन जनशक्ति को सुधारने के लिए 1971 में इसे पूर्ण रूप से एक राष्ट्रीय स्तर का पुलिस बेतार प्रशिक्षण संस्थान के रूप में अपग्रेड किया गया।</p>
1.2	इसके अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य [धारा 4 (1) (ख) (ii)]	(क) अधिकारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य (प्रशासनिक, वित्तीय और न्यायिक)	निदेशक - विभागाध्यक्ष, अपर निदेशक (मुख्यालय) - कार्यालयाध्यक्ष, एफएए संयुक्त निदेशक (प्रशासन) - केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
		(ख) अन्य कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य	संयुक्त निदेशक (प्रशासन) - प्रशासन प्रभाग का प्रमुख संयुक्त निदेशक (संचार) - संचार प्रभाग का प्रमुख संयुक्त निदेशक (बीजलेख) - बीजलेख प्रभाग का प्रमुख संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण) - प्रशिक्षण प्रभाग का प्रमुख
		(ग) नियम/आदेश जिसके तहत शक्तियाँ और कर्तव्य व्युत्पन्न किए गए हैं, और	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आदेश/अनुदेश के अनुसार/गृह मंत्रालय के अनुदेश के अनुसार, यदि कोई हो तो।
		(घ) प्रयोग	जैसा भारत सरकार द्वारा निर्धारित हैं

		(इ) कार्य आवंटन	संयुक्त निदेशक (प्रशासन) - प्रशासन, संस्थापन संयुक्त निदेशक (संचार) - संचार, पोलनेट, आईएसपीडब्ल्यू केन्द्र, शिकायत संयुक्त निदेशक (बीजलेख) - बीजलेख के मामले संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण) - राज्य/केन्द्र शासित राज्य/सीएपीएफ/डीसीपीडब्ल्यू के पुलिस कार्मिकों का प्रशिक्षण
1.3	निर्णय लेने के लिए पालन की जाने वाली प्रक्रिया [धारा 4 (1) (ख) (iii)]	(क) निर्णय लेने की प्रक्रिया, प्रमुख निर्णायक बिंदु की पहचान	विभागाध्यक्ष कार्यालयाध्यक्ष संयुक्त निदेशक
		(ख) अंतिम निर्णय लेने वाला प्राधिकारी	विभागाध्यक्ष
		(ग) संबंधित प्रावधान, अधिनियम, नियम आदि	जैसा भारत सरकार द्वारा निर्धारित हैं
		(घ) निर्णय लेने की समय सीमा, यदि कोई हो,	मामले/विषय के अनुसार
		(इ) पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व का माध्यम	चार्ट के अनुसार
1.4	दायित्वों के निर्वहन के लिए मानदंड [धारा 4 (1) (ख) (iv)]	(क) दायित्वों/प्रदान किए गए कार्यों की प्रकृति	पैरा 1.1 (घ) के अनुसार
		(ख) कार्यों/प्रदत्त सेवा हेतु मानदंड/मानक	जैसा भारत सरकार द्वारा निर्धारित हैं
		(ग) प्रक्रिया जिसके द्वारा इन सेवाओं तक पहुंचा जा सकता है।	पर्यवेक्षण, परिणाम

		(घ) लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समय-सीमा	समय से
		(इ) शिकायत का निवारण करने की प्रक्रिया	शिकायत निवारण के लिए शिकायत अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।
1.5	दायित्वों के निर्वहन के लिए नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख [धारा 4 (1) (ख) (v)]	(क) अभिलेख/निर्देशिका/अनुदेश का शीर्षक और प्रकृति	सरकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है।
		(ख) नियम, विनियम, अनुदेश निर्देशिका और अभिलेख की सूची	सरकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है।
		(ग) अधिनियम/नियम निर्देशिका आदि	सरकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है।
		(घ) स्थानान्तरण नीति और स्थानान्तरण आदेश	उपलब्ध हैं
1.6	प्राधिकारी के अपने नियंत्राधीन रखे गए दस्तावेजों की श्रेणियां [धारा 4 (1) (ख) (vi)]	(क) दस्तावेजों की श्रेणियां	सामान्य और क्रिप्टोग्राफी
		(ख) दस्तावेजों/श्रेणियों के संरक्षक	सामान्य के लिए प्रभाग प्रभारी, गूढलेख (क्रिप्टोग्राफी) के लिए संयुक्त निदेशक (बीजलेख), उप निदेशक (बीजलेख)

1.7	लोक प्राधिकारी के भाग के रूप में गठित बोर्ड, परिषद, समिति और अन्य निकाय [धारा 4 (1) (ख) (viii)]	(क) बोर्ड, परिषद, समितियां आदि	सरकारी वेबसाइट पर उपलब्ध के अनुसार
		(ख) रचना	सरकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है।
		(ग) तिथियां जबसे गठित हैं	सरकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है।
		(घ) शर्त/अवधि	सरकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है।
		(ङ) शक्तियाँ और दायित्व	सरकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है।
		(च) क्या उनकी बैठकें जनता के लिए खुले हैं?	लागू नहीं है।
		(छ) क्या बैठकों की कार्यवृत्त जनता के लिए खुले हैं?	लागू नहीं है।
		(ज) यदि जनता के लिए खुले हैं तो ये किस स्थान पर उपलब्ध हैं ?	लागू नहीं है।
1.8	अधिकारियों और कर्मचारियों की निदेशिका [धारा 4 (1) (ख) (ix)]	(क) नाम और पदनाम	सरकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है।
		(ख) टेलीफोन, फैक्स और ई-मेल आईडी	सरकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है।

1.9	अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसमें प्रतिकर प्रणाली भी शामिल हो [धारा 4 (1) (ख) (x)]	(क) सकल मासिक पारिश्रमिक सहित कर्मचारियों की सूची	निदेशक- लेवल 14 अपर निदेशक - लेवल-13 संयुक्त निदेशक - लेवल-12, उप निदेशक- लेवल 11, सहायक निदेशक-लेवल 10, संयुक्त सहायक निदेशक-8, संचार अधिकारी- लेवल 7, स.सं.अ.-लेवल-6
		(ख) इसके विनियमावली में दी गई प्रतिकर प्रणाली	नियम के अनुसार
1.10	लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विवरण [धारा 4 (1) (ख) (xvi)]	(क) लोक सूचना अधिकारी (पी.आई.ओ), सहायक लोक सूचना और अपीलीय प्राधिकारी का नाम और पदनाम	श्री घन श्याम, संयुक्त निदेशक (प्रशासन)- सी.पी.आई.ओ. श्री देवेन्द्र सिंह, अपर निदेशक (मुख्यालय)- एफ.ए.ए.
		(ख) प्रत्येक पदनामित अधिकारी का पता, दूरभाष नंबर और ई-मेल आईडी	ब्लॉक-9, सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-3 ghanshyam@dcpw.gov.in
1.11	कर्मचारियों की संख्या जिनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित है/की गई है [धारा 4 (2)]	कर्मचारियों की संख्या जिनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई	
		(क) छोटा दंड या बड़ा दंड के लिए विचाराधीन है	1
		(ख) छोटा दंड या बड़ा दंड पूरा हो चुका है	3

1.12	सूचना का अधिकार को पूर्ण रूप से समझने के लिए कार्यक्रम [धारा 26]	(क) शैक्षणिक कार्यक्रम	-
		(ख) इन कार्यक्रमों में लोक प्राधिकारियों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के प्रयास	-
		(ग) सी.पी.आई.ओ./ ए.पी.आई.ओ. का प्रशिक्षण	हाँ
		(घ) संबंधित लोक प्राधिकारियों द्वारा सूचना का अधिकार पर दिशानिर्देशों का अद्यतन और प्रकाशन	हाँ
1.13	स्थानांतरण नीति और स्थानांतरण आदेश [फा.स. 1/6/2011-आईआर दिनांक 15.4.2013]		उपलब्ध है।

2. बजट और कार्यक्रम

क्र. सं.	मद	प्रकटीकरण का विवरण	विवरण
2.1	सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किए गए संवितरणों पर रिपोर्ट के साथ प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट [धारा 4 (1) (ख) (xi)]	(क) लोक प्राधिकरण के लिए कुल बजट	92.45 करोड
		(ख) प्रत्येक अभिकरण के लिए बजट और योजना व कार्यक्रम	लागू नहीं
		(ग) प्रस्तावित व्यय	92.45 करोड
		(घ) प्रत्येक अभिकरण के लिए संशोधित बजट, यदि कोई हो तो	लागू नहीं
		(ङ) किए गए संवितरणों पर रिपोर्ट और स्थान जहां संबंधित रिपोर्ट उपलब्ध है	45 करोड
2.2	विदेश और घरेलू भ्रमण [फा.स. 1/8/2012-आईआर, दिनांक 11.09.2012]	(क) बजट	1.35 करोड
		(ख) विभागाध्यक्ष सहित मंत्रालयों और सरकार के संयुक्त सचिव और इससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों द्वारा विदेश और देश में भ्रमण. (अ) भ्रमण स्थल (ब) भ्रमण की अवधि (स) सरकारी प्रतिनिधि मंडल में सदस्यों की संख्या (द) भ्रमण पर व्यय	शून्य

		<p>(ग) सरकारी खरीद से संबंधित सूचना</p> <p>(अ) नोटिस/निविदा जांच, और इस पर शुद्धिपत्र, यदि कोई हो</p> <p>(ब) सामान के आपूर्तक/प्राप्त की जाने वाली सेवा के नामों सहित दी गयी नीलामी बोली का विवरण</p> <p>(स) पूरा किए गए कार्य संविदा - यदि कोई हो, तो उक्त का सम्मिलन- और</p> <p>(घ) ऐसी सरकारी खरीद या कार्य संविदा की दर/दरें और कुल राशि जिससे निष्पादित किया जाना है।</p>	सरकारी वेबसाइट के अनुसार
2.3	सहायकी कार्यक्रम के निष्पादन का तरीका [धारा 4 (1) (ख) (xii)]	(क) गतिविधिक कार्यक्रम का नाम	लागू नहीं
		(ख) कार्यक्रम का उद्देश्य	लागू नहीं
		(ग) लाभ उठाने की प्रक्रिया	लागू नहीं
		(घ) कार्यक्रम/योजना की अवधि	लागू नहीं
		(ङ) कार्यक्रम का भौतिक और वित्तीय लक्ष्य	लागू नहीं
		(च) अनुदान प्रदान करने के लिए पात्रता का मानदंड	लागू नहीं
		(छ) अनुदान कार्यक्रम के लाभार्थियों का विवरण (संख्या, प्रोफाइल आदि)	लागू नहीं

2.4	विवेकगत और गैर-विवेकगत अनुदान [फा.स. 1/6/2011-आईआर, दिनांक 15.04.2013]	(क) राज्य सरकार/एन.जी.ओज./अन्य संस्थानों को विवेकगत और गैर-विवेकगत अनुदान/आवंटन	लागू नहीं
		(ख) सभी विधिक संस्थाओं के वार्षिक लेखा जिन्हें लोक प्राधिकारियों द्वारा अनुदान दिया गया है	लागू नहीं
2.5	लोक प्राधिकारी द्वारा दिए गए रियायतों, प्राधिकारों की अनुमति(अनुज्ञापत्रों) के प्राप्तकर्ताओं का विवरण [धारा 4 (1) (ख) (xiii)]	(क) लोक प्राधिकारी द्वारा दी गई रियायतें, अनुज्ञापत्र या प्राधिकार	लागू नहीं
		(ख) दिए गए प्रत्येक रियायत, अनुज्ञापत्र या प्राधिकार के लिए: (अ) पात्रता का मानदंड (ब) रियायत/अनुदान और/या प्राधिकारों का अनुज्ञापत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया (ग) रियायत/अनुज्ञापत्र या प्राधिकार दिए गए प्राप्तकर्ताओं के नाम और पता (स) रियायत/प्राधिकारों का अनुज्ञापत्र देने की तिथि
2.6	सी.ए.जी. और पी.ए.सी. पैरा [फा.स. 1/6/2011-आईआर, दिनांक 15.04.2013]	सी.ए.जी. और पी.ए.सी. पैराएं और इन्हें संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखने के बाद कार्रवाई की रिपोर्ट	सिर्फ 01 (सी.ए.जी.)

3. पब्लिसिटी बैंड पब्लिक इंटरफेस (प्रचार बैंड लोक इंटरफेस)

क्र.स.	मद	प्रकटीकरण का विवरण	विवरण
3.1	नीति के निर्माण या उसके कार्यान्वयन के संबंध में लोक सदस्यों के साथ परामर्श करने या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए किसी व्यवस्था का विवरण [धारा 4 (1) (ख) (vii)] [फा.स. 1/6/2011-आईआर, दिनांक 15.04.2013]	लोक सदस्यों के साथ परामर्श करने या उनके द्वारा प्रतिनिधित्व करने की व्यवस्था	
		(क) प्रासंगिक अधिनियम, नियम, प्रपत्र और अन्य दस्तावेज जो नागरिकों द्वारा सामान्यतः प्राप्त किए जाते हैं।	लागू नहीं
		(ख) के साथ परामर्श या के द्वारा अभ्यावेदन की व्यवस्था :-	लागू नहीं
		(अ) नीति निर्माण/नीति कार्यान्वयन के लोक सदस्य	
		(ब) आगंतुकों के लिए निर्धारित तिथि एवं समय	
		(स) सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत आवेदकों द्वारा अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों का प्रकाशन उपलब्ध कराने हेतु सूचना एवं सुविधा केन्द्र का सम्पर्क विवरण :-	
		सार्वजनिक निजी भागीदारी	लागू नहीं
		(क) किसी विशेष उद्देश्य के लिए वाहन का विवरण, यदि कोई हो,	-
		(ख) विस्तृति परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) का विवरण	-
		(ग) रियायत संबंधी करार	-
(घ) परिचालन और रखरखाव मैनुअल	-		
(ङ) सार्वजनिक निजी भागीदारी के कार्यान्वयन के हिस्से के रूप में तैयार किए गए अन्य दस्तावेज	-		
(च) प्राधिकार के तहत सरकार के एकत्रित किए जाने वाले शुल्क ,	-		

	टॉल या अन्य किसी प्रकार के राजस्व संबंधी सूचना :-	
--	---	--

		(छ) आउटपुट और परिणामों से संबंधित सूचना	-
		(ज) निजी क्षेत्र की पार्टी के चयन की प्रक्रिया (रियायतकर्ता आदि)	-
		(झ) सार्वजनिक- निजी भागिदारी (पीपीपी) के तहत किए गए सभी भुगतान	-
3.2	क्या लोगों के उपर प्रभाव डालने वाली नीतियों/निर्णयों के बारे में उन्हें सूचित किया गया है ? [धारा 4 (1) (ग)]	महत्वपूर्ण नीतियाँ बनाते समय सभी प्रासंगिक तथ्यों को प्रकाशित करें या उन निर्णयों की घोषणा करें जो प्रक्रिया को जनता के लिए और अधिक अन्तरक्रियात्मक रूप से प्रभावी बनाता हो :-	-
		(क) पिछले एक वर्ष में लिए गए नीतिगत निर्णय/विधान	-
		(ख) सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया की रूपरेखा	-
		(ग) नीति तैयार करने से पहले परामर्श की व्यवस्था की रूपरेखा तैयार करने की नीति	-
3.3	सूचना को व्यापक रूप से फैलाना और ऐसे रूप में व रीति से प्रसारण जो जनता को आसानी से सुलभ हो [धारा 4 (3)]	संचार के सबसे प्रभावी साधनों का उपयोग	-
		(क) इंटरनेट (वेबसाइट)	-
3.4	सूचना मैनुअल/हैंडबुक की सुगमता का प्रारूप [धारा 4 (1) (ख)]	सूचना मैनुअल/हैंडबुक में उपलब्ध	-
		(क) इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप	-
		(ख) मुद्रित प्रारूप	-
3.5	क्या सूचना मैनुअल/हैंडबुक निःशुल्क उपलब्ध है या नहीं ? [धारा 4 (1) (ख)]	उपलब्ध सामग्री की सूची	
		(क) निःशुल्क	
		(ख) माध्यम के उचित लागत पर	

4. ई. शासन

क्र.स.	मद	प्रकटीकरण का विवरण	विवरण
4.1	सूचना मैनुअल/हैंडबुक किस भाषा में उपलब्ध हैं [फा.स. 1/6/2011-आईआर, दिनांक 15.04.2013]	(क) अंग्रेजी	अंग्रेजी और स्थानीय भाषा में उपलब्ध
		(ख) मातृभाषा/स्थानीय भाषा	-
4.2	सूचना मैनुअल/हैंडबुक अंतिम बार कब अद्यतन किया गया था ? [फा.सं. 1/6/2011-आईआर, दिनांक 15.04.2013]	वार्षिक अद्यतनीकरण की अंतिम तिथि	18-05-2018
4.3	इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में सूचना उपलब्ध [धारा 4 (1) (ख) (xiv)]	(क) इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में उपलब्ध सूचना का विवरण	सरकारी वेबसाइट के अनुसार
		(ख) दस्तावेज/अभिलेख/अन्य सूचना का नाम/शीर्षक	सरकारी वेबसाइट के अनुसार
		(ग) स्थान जहां उपलब्ध है	सरकारी वेबसाइट के अनुसार
4.4	नागरिकों उनकी सूचना प्राप्त करने के लिए उपलब्ध सुविधाओं का विवरण [धारा 4 (1) (ख) (xv)]	(क) संकाय का नाम और स्थान	सरकारी वेबसाइट के अनुसार
		(ख) उपलब्ध करायी गयी सूचना का विवरण	सरकारी वेबसाइट के अनुसार
		(ग) सुविधा उपलब्ध रहने के घंटे	हमेशा
		(घ) सम्पर्क व्यक्ति और संपर्क विवरण (फोन, फैक्स ई-मेल)	सरकारी वेबसाइट के अनुसार
4.5	ऐसी अन्य जानकारी जो धारा 4 (1) (ख) (xvii) के अंतर्गत निर्धारित हैं	(क) शिकायत निवारण तंत्र	उपलब्ध
		(ख) आर.टी.आई. और दी गई सूचना के तहत प्राप्त आवेदनों का विवरण	419
		(ग) पूर्ण योजनाओं/परियोजनाओं/कार्यक्रमों की सूची	सरकारी वेबसाइट के अनुसार

		(घ) चल रही योजनाओं/ परियोजनाओं/ कार्यक्रमों की सूची	सरकारी वेबसाइट के अनुसार
		(ङ) किए गए सभी संविदाओं का विवरण जिसमें ठेकेदार का नाम, संविदा की राशि और संविदा को पूरा करने की अवधि शामिल हो	-
		(च) वार्षिक रिपोर्ट	----
		(छ) अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफ.ए.क्यूज)
		(झ) कोई अन्य सूचना जैसे :-	---
		(अ) नागरिक चार्टर	----
		(ब) परिणाम रूपरेखा दस्तावेज (आर.एफ.डी.)
		(स) निम्नांकित के लिए छमाही रिपोर्ट	---
		(द) नागरिक चार्टर में निर्धारित बेंचमार्क पर कार्य-निष्पादन	----
4.6	आर.टी.आई. आवेदनों और अपीलों की प्राप्ति और निपटान [फा.सं. 1/6/2011-आईआर, दिनांक 15.04.2013]	(क) प्राप्त आवेदनों और निपटान किए गए आवेदनों का विवरण	419
		(ख) प्राप्त अपील और जारी किए गए आदेशों का विवरण	98
4.7	संसद में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर [धारा 4 (1) (घ) (2)]	पूछे गए प्रश्नों और दिए गए उत्तरों का विवरण	2

5. निर्धारित की जाने वाली सूचना

क्र.स.	मद	प्रकटीकरण का विवरण	विवरण
5.1	ऐसी अन्य सूचना जो निर्धारित की जा सकती है [फा.स. 1/2/2016-आईआर, दिनांक 17.08.2016, फा.स. 1/6/2011-आईआर, दिनांक 15.04.2013]	(क) का नाम और विवरण (अ) वर्तमान सी.पी.आई.ओ. और एफ.ए.ए. (ब) पूर्व के सी.पी.आई.ओ. और एफ.ए.ए. 01-01-2015 से	(क) श्री घनश्याम, संयुक्त निदेशक (प्रशासन), सी.पी.आई.ओ. (ख) श्री देवेन्द्र सिंह, अपर निदेशक (मुख्यालय), एफ.ए.ए.
		(ख) स्वैच्छिक प्रकटीकरण के तीसरे पक्ष के ऑडिट का विवरण (अ) किए गए लेखापरीक्षा (ऑडिट) की तिथि (ब) किए गए लेखापरीक्षा ऑडिट की रिपोर्ट	हाँ
		(ग) नोडल अधिकारी की नियुक्ति जो संयुक्त सचिव/अपर एच.ओ.डी. के रैंक से कम न हों (अ) नियुक्ति की तिथि (ब) अधिकारियों के नाम और पदनाम	लागू नहीं
		(घ) स्वतः संज्ञान प्रकटीकरण पर सलाह के लिए महत्वपूर्ण हितधारकों की परामर्श समिति (अ) तिथि जब से गठित की गई (ब) अधिकारियों के नाम और पदनाम	लागू नहीं

	(ड) आर.टी.आई. के तहत अक्सर मांगी जाने वाली सूचना की पहचान के लिए आर.टी.आई. के क्षेत्र में अनुभवी पी.आई.ओ./एफ.ए.ए. की समिति (अ) तिथि जब से गठित की गई (ब) अधिकारियों के नाम और पदनाम	लागू नहीं
--	---	-----------

6. खुद की पहल पर प्रकट की गयी सूचना

क्र.स.	मद	प्रकटीकरण का विवरण	विवरण
6.1	मद/सूचना को प्रकट किया जाए ताकि लोग सूचना प्राप्त करने के लिए आर.टी.आई. अधिनियम के प्रयोग का न्यूनतम सहारा लें		ऑनलाइन और सामान्य पत्रों द्वारा
6.2	भारत सरकार की वेबसाइट के दिशानिर्देशों (जी.आई.जी.डब्ल्यू.) का पालन किया जाता है (फरवरी, 2009 में जारी किया गया और भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा कार्यालय प्रक्रियाओं के केन्द्रीय सचिवालय मैनुअल (सी.एस.एम.ओ.पी.) में शामिल किया गया है)	(क) क्या एस.टी.क्यू.सी. प्रमाणन प्राप्त हुआ है ? और इसकी वैधता। (ख) क्या वेबसाइट पर प्रमाण पत्र प्रदर्शित किया जाता है?	प्रक्रियाधीन